2839/2017

Kunwar Rana Ranvir Singh
EXECUTIVE
SHCIL-MATHURA

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP03042957153923P
Certificate Issued Date	:	30-Mar-2017 04:13 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0103647242910045P
Purchased by	:	N P INFRATECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	RUKMANI VIHAR VRINDAVAN
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	M V D A MATHURA
Second Party	:	N P INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	N P INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	6,20,000 (Six Lakh Twenty Thousand only)

Stock Holding Corporation of India – SHCIL MATHURA

T-4283

स्टाम्प अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत इकरारनामा सं० 11914/5970 दि० 3/9/2010 पर जमा किया गया स्टाम्प शुल्क 15314500 व वि० लेख 2839/17 के साथ समायोजित किया गया।

S.R
1-4-17

Please write or type below this line

रुकमणी विहार आ० यो० में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड सं० G.H.08 का फ्री होल्ड विलेख के सम्बन्ध में।

प्रभारी सम्पति
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.

DIRECTOR

VO 0005697227

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुप

रु.1000

USAND RUPEES

000

सत्यमेव जयते

प्राधिकरण भूखण्ड का फ्रीहोल्ड विलेख

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 981062

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण की भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड का यह विलेख सन–2017 के मार्च माह के ...31.... वें दिन मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण जिसको यहाँ आगे चलकर (विक्रेता)– प्रथम पक्ष कहा गया है तथा मै0 एन0पी0 इन्फ्रा0 प्रा0 लि0, द्वारा श्री कपिल देव उपाध्याय (डायरेक्टर) जी0एच0–08 संस्कार सिटी, रूक्मणी विहार, वृन्दावन, मथुरा जिसको आगे चलकर (क्रेता)– द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य यह विलेख लिखा गया है ।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित समूह आवास भूखण्ड प्राधिकरण कार्यालय के पत्र दिनांक 07.07.10 द्वारा क्रेता को रू0 19,42,72,854.50 (उन्नीस करोड़ बियालीस लाख बहात्तर हजार आठ सौ चउअन नये पचास पैसे) पर आवंटित किया गया है । इस भूखण्ड को आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन क्रेता को भूखण्ड से सम्बद्ध भूमि के मूल्य रू0 19,42,72,854.50 /– के 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 2,33,12,747.50/– (दो करोड़ तैतीस लाख बारह हजार सात सौ सैंतालीस रू0 पचास पैसे) को भूखण्ड के मूल्य में सन्निहित करते हुए कुल मूल्य रू0 21,75,85,597/– (इक्कीस करोड़ पिचत्तर लाख पिच्यासी हजार पाँच सौ सत्तानवें) पर विक्रय किया जाना था, जिसका फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 2,33,12,744/– (दो करोड़ तैतीस लाख बारह हजार सात सौ चवालीस) के साथ आंशिक भुगतान क्रेता द्वारा भूखण्ड पर कब्जा लेने से पूर्व सम्पादित कराये गये नियमानुसार अनुबन्ध विलेख दिनांक 09.12.10 से पूर्व दिनांक 23.09.10 में जमा कराये गये। तदोपरान्त भी क्रेता द्वारा भूखण्ड मूल्य की कुछ धनराशियाँ जमा की गयी । क्रेता द्वारा भूखण्ड मूल्य की अवशेष धनराशि जमा कराये जाने हेतु शासन द्वारा जारी एक मुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत दिनांक 03.09.15 में आवेदन किया गया है । मांग पत्र के खिलाफ क्रेता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण को विवादित किया गया ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.

DIRECTOR

1000/

[illegible] 30/3/20[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 982675

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया । तदक्रम में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के आदेश/कार्यवृत्त संख्या–158/आठ–8–16–61पुनः/2016 दिनांक 07.12.16 एवं अपर प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के पत्रांक 40/आठ–8–16–61पुनः/2016 दिनांक 23.01.17 द्वारा क्रेता पर तद्समय तक अवशेष धनराशि रू0 3,18,68,508/– में से रू0 3.18 लाख को फ्रीज कर दिया गया एवं इसकी ब्याज रहित किस्तें बनाने एवं इतने ही मूल्य की सम्पत्ति को बंधक रखते हुए विक्रय विलेख कराये जाने के आदेश दिये गये ।

तदक्रम में क्रेता द्वारा रू0 53,68,508/– प्राधिकरण कोष में जमा करा दिये गये । अवशेष रू0 2.65 लाख की ढाई वर्ष में पॉचः ब्याज रहित किस्तें बनायी गयी । भूखण्ड के विक्रय के समय भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 15303.10 वर्ग मी0 था । स्थल पर वास्तविक रूप से क्षेत्रफल 15929.70 वर्ग मी0 है । अतः अतिरिक्त क्षेत्रफल 626.60 वर्ग मी0 का मूल्य रू0 79,54,687/– एवं इस पर फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 9,54,563/– जो क्रेता द्वारा दिनांक 20.02.17 में जमा कर दिया गया । फ्रीहोल्ड सहित अतिरिक्त भूमि का कुल मूल्य रू0 89,09,250/– होता है । अतिरिक्त भूमि का फ्रीहोल्ड शुल्क रू0 9,54,563/– एवं अतिरिक्त भूमि मूल्य में से रू0 54,687/– दिनांक 20.02.17 में जमा किये गये हैं । अवशेष अतिरिक्त भूमि मूल्य रू0 79,00,000/– पर नियमानुसार 12.25 प्रतिशत ब्याज सहित 05 छमाही किस्तें प्रति किस्त रू0 18,81,814/– एवं शासन द्वारा फ्रीज की गयी धनराशि में से अवशेष मूल्य रू0 2,65,00,000/– पर ब्याज रहित 05 छमाही किस्तें रू0 53,00,000/– (तिरेपन लाख) प्रति किस्त बनायी गयी है । दोनों को मिलाकर क्रेता को रू0 71,81,814/– प्रति किस्त प्रथम किस्त दिनांक 30.06.17 से प्रारम्भ कर दिनांक 30.06.19 तक जमा करानी होंगी । प्राधिकरण का भूखण्ड की मद में अवशेष मूल्य रू0 3,44,00,000/– (तीन करोड़ चवालीस लाख) इस प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय किये गये भूखण्ड जी0एच0–08 का फ्रीहोल्ड मूल्य रू0 2,42,66,307/– जमा कराया जा चुका है । अवशेष भूखण्ड मूल्य रू0 3,44,00,000/– के समतुल्य मूल्य की व्यवसायिक स्पेस (बी टॉवर भूतल) 630.11 वर्ग मी0 कॉमर्शियल क्षेत्रफल को क्रेता द्वारा बंधक रखने हेतु साईट प्लान पर दर्शित कर साथ संलग्न किया गया है, जिसको उपनिबन्धक के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.

Kapil-[illegible]

DIRECTOR

१०००/

2013/2099

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 982676

यह विक्रय विलेख इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि किस्त के तीन माह तक डिफाल्ट होने की स्थिति में पैनल ब्याज 15.25 प्रतिशत सहित किस्त की धनराशि जमा करायी जा सकेगी । तीन माह के पश्चात उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को बंधक क्षेत्रफल को विक्रय कर धनराशि बसूल करने अथवा आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।

उपरोक्त भूखण्ड जी0एच0–08 का चूँकि बजरिये पंजीकृत इकरार नामा दिनांक 09.12.10 को हो चुका है । जिसकी रजिस्ट्री उपनिबन्धक मथुरा के कार्यालय में वही नं0–01 जिल्द 3978 के पृष्ठ–1329 से 1384 क्रमांक 11905 पर पंजीकृत है, के द्वारा केता को वक्त इकरार नामा उक्त भूखण्ड पर वास्तविक कब्जा प्रदान किया जा चुका है और इकरारनामा के वक्त कब्जा सुपर्दुगी के कारण विक्रय भूखण्ड की मालियत एवं फ्रीहोल्ड शुल्क सहित रू0 21,75,87,597/– पर आमद स्टाम्प शुल्क केता वक्त इकरारनामा अदा कर चुका है । वर्तमान अतिरिक्त भूमि का मूल्य फ्रीहोल्ड सहित रू0 89,09,250/– पर स्टाम्प शुल्क अदा करते हुए पूर्व अनुबन्धित क्षेत्रफल सहित 15929.70 वर्ग मी0 फ्रीहोल्ड विलेख केता को विकेता से अपने पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है । उक्त अतिरिक्त बढी हुयी भूमि का अभी तक आवंटी को प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है, कब्जा रजिस्ट्री होने के उपरान्त दिया जायेगा । उक्त विलेख में ई–स्टाम्प संख्या–IN-UP03042957153923P दिनांक 30.03.17 रू0 6,20,000/– का संलग्नक किया गया है ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.

Kapil-Jw

DIRECTOR

30/3/2079

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 838977

1. अत: क्रेता को इस विलेख की अनुसूची में वर्णित **ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0-जी0एच0-08** योजना-**रूक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, (मथुरा)** स्थित कुल **क्षेत्रफल 15929.70 वर्ग मीटर** पर आगे अभिव्यक्त अधिकारों/शर्तो के अधीन ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन हेतु निजी स्वामित्व (फ्रीहोल्ड) स्वीकार कर लिया है । प्राधिकरण की महायोजना/आसपास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में इस भूखण्ड का ग्रुप हाउसिंग उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है । अत: विक्रेता द्वारा क्रेता से यह अपेक्षा की जाती है कि क्रेता अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आसपास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही करेगा । भूखण्ड का ग्रुप हाउसिंग के रूप में मानचित्र स्वीकृति के अनुसार निर्माण कर सम्पर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा ।

प्रभारी सम्पत्ति
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.
Kapil-Jw
DIRECTOR

5001

20/3/2017

17 MAR 2017

2. अत: उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को फ्रीहोल्ड शुल्क सहित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के सम्पूर्ण मूल्य के किए गये भुगतान के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह सब भूखण्ड उसकी सीमाओं सहित जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न साइट प्लान में प्रदर्शित किया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते है और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते है और क्रेता उसके दावाधिकारी तथा समानुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.
Kapil
DIRECTOR

विक्रय पत्र

226,494,847.00 /	**226,495,000.00**	20,000.00	80	20,080.00	24
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या

श्री डोरीलाल गोला त0 मु0 एस डी शर्मा प्र0 स0

पुत्र श्री बनवारी लाल

व्यवसाय नौकरी

निवासी स्थायी कार्यालय म0 वृ0 वि0 प्रा0 मथुरा

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/4/2017 समय 12:31PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमत प्रसाद

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

1/4/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री डोरीलाल गोला त0 मु0 एस डी शर्मा प्र0 स0
पुत्र श्री बनवारी लाल
पेशा नौकरी
निवासी कार्यालय म0 वृ0 वि0 प्रा0 मथुरा

श्री मै0 एन पी इन्फ्रा प्रा0लि0 द्वारा कपिल देव उपाध्याय
पुत्र श्री छैल बिहारी
पेशा व्यापार
निवासी जी एच 8 संस्कार सिटी रुकमणी विहार वृन्दावन मथुरा

3. भूमि अर्जन के सम्बन्ध में यदि किसी न्यायालय के द्वारा मूल्य बृद्धि की जाती है तो आबंटी द्वारा देय होगी । योजना की अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकृत करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त धनराशि की मांग प्राधिकरण द्वारा की जाती है तो आवंटी अतिरिक्त होने वाले व्यय का समानुपातिक मांग प्राधिकरण कोष में जमा करायेगा । आवंटी द्वारा धनराशि जमा न कराये जाने की स्थिति में प्राधिकरण उस धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली करने का अधिकारी होगा इसके लिए किसी प्रकार का वाद नहीं योजित कराया जायेगा ।

4. इस विलेख के निष्पादन के दिनॉक से इसकी अनुसूची में वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्राप्त हो जायेगा और वह उस पर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए मानचित्रानुसार समूह आवास के रूप में निर्माण कर एवं उप विभाजन किये बगैर स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन प्रयोग या हस्तान्तरित कर सकेगा । हस्तान्तरण/अध्यासन से पूर्व भवन का नियमानुसार सम्पर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा । भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में क्रेता इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का क्रेता अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्राधिकरण/स्थानीय निकाय को भुगतान करेगा ।

5. द्वितीय पक्ष अर्थाता क्रेता को या उसके उत्तराधिकारी को समूह आवास के रूप में मानचित्रानुसार निर्माण कर सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए ही भवन में अध्यासन अनुमत करना होगा । क्रेता (द्वितीय पक्ष) को उ0प्र0 अपार्टमेन्ट (निर्माण स्वामित्व और अनुरक्षण संवर्धन) अधिनियम 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.
Kapil Jain
DIRECTOR

2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान प्रभात कुमार चतुर्वेदी
सुन्दर श्याम चतुर्वेदी

पेशा वकालत

निवासी डैम्पीयर नगर मथुरा

व जावेद
शौकत अली

पेशा व्यापार

निवासी काजीपाडा मथुरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमत प्रसाद
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
1/4/2017

८. इस विलेख के उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे ।

९. यदि किसी समय अवसर पर यह पाया जाता है कि क्रेता ने किसी तथ्य को छिपाकर अथवा मिथ्या तथ्यों के आधार पर अथवा त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण अथवा धोखाधड़ी के आधार पर यह विलेख निष्पादित कराया है तो यह विलेख प्राधिकरण के विकल्प (आप्शन) पर निष्प्रभावी शून्य हो जायेगा । ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को यह विलेख निरस्त करने तथा क्रेता द्वारा भूमि क्रय किए जाने हेतु प्राधिकरण को किये गये भुगतान की धनराशि को जब्त करने का अधिकार होगा । इस सम्बन्ध में प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा एवं क्रेता पर बाध्य होगा तथा किसी भी विधिक अथवा अन्य कार्यवाही में इस प्रकरण का विवाद नहीं उठाया जायेगा ।

प्रभारी सम्पत्ति
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.
Kapil Jain
DIRECTOR

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान प्रभात कुमार चतुर्वेदी

सुन्दर श्याम चतुर्वेदी

पेशा वकालत

निवासी डैम्पीयर नगर मथुरा

व जावेद

शौकत अली

पेशा व्यापार

निवासी काजीपाडा मथुरा

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हनुमत प्रसाद

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

1/4/2017

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CY 508858

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, केता वहन करेगा ।

9. अनुबंध विलेख के निष्पादन अथवा फ्रीहोल्ड विलेख एवं की तिथि से 05 वर्ष (जो पहले हो) में प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त नियमानुसार भवन का निर्माण करना होगा । निर्माण के उपरान्त अध्यासन से पूर्व भवन का सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा । योजना के अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा यदि कोई धनराशि अतिरिक्त रूप से व्यय की जाती है तो उसका समानुपातिक भाग आवंटी अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा देना होगा ।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द (विक्रेता) और क्रेता के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्यवस्था प्रसंगों से असंगत न हो, विक्रेता में उसके उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा क्रेता में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है ।

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.

DIRECTOR

17 MAR 2017

विक्रेता

Registration No.: 2839   Year : 2,017   Book No. : 1

0101 **डोरीलाल गोला त0 मु0 एस डी शर्मा प्र0 स0**

बनवारी लाल

कार्यालय म0 वृ0 वि0 प्रा0 मथुरा

नौकरी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CY 508859

11. यदि भविष्य में अग्नि, तूफान, बाढ़, सेना अनियन्ति भीड़ के प्रदर्शन अथवा भूकम्प आदि प्राकृतिक आपदा से भवन अथवा उसके किसी भाग को क्षति होता है तो उसकी भरपाई के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नही होगा ।

12. यदि केता (द्वितीय पक्ष) एवं भवन के भविष्य में होने वाले अध्यापतियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत केता अथवा उसके उत्तराधिकारी को कराना होगा । प्राधिकरण इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।

13. यदि केता (द्वितीय पक्ष) द्वारा उपरोक्त किसी नियम एवं शर्त सहित आवंटन नियम व शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो उपाध्यक्ष, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा ।

14. यह कि मुझ......................... तसदीकी मुख्तार **श्री एस0डी0शर्मा, प्रभारी सम्पत्ति मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा** जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा की **बही नं0 06 जिल्द सं0 04 के पृष्ठ 27-36 में कमांक नं0 21 दिनांक 04.09.2014** को हुई है के द्वारा प्रलेख प्रस्तुत करने के अधिकार प्राप्त है ।

इस विलेख के साक्ष्य में केता ने और विकेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं, उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है ।

प्रभारी सम्पत्ति
मथुरा वृन्दावन विकास प्राधि.
मथुरा

For N.P. INFRATECH PVT. LTD.
Kapil
DIRECTOR

17 MAR 2017

क्रेता

Registration No. : 2839 Year : 2,017 Book No. : 1

0201 **मै0 एन पी इन्फ्रा प्रा0लि0 द्वारा कपिल देव उपाध्याय**

छैल बिहारी

जी एच 8 संस्कार सिटी रूकमणी विहार वृन्दावन मथुरा

व्यापार

इनमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नॉकित है:-

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-जी0एच0-08 रूक्मणी विहार आवासीय योजना, वृन्दावन, (मथुरा) क्षेत्रफल 15929.70 वर्ग मी0 जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर की ओर	-	15.00 व 30.00 मी0 चौड़ी सड़क,
दक्षिण की ओर	-	12.00 मी0 चौड़ी सड़क,
पूर्व की ओर	-	18.00 मी0 चौड़ी सड़क,
पश्चिम की ओर	-	आश्रम मठ भूखण्ड ।

For N.P. INF... PVT. LTD.

केता के हस्ताक्षर

Kapil Dev

DIRECTOR

प्राधिकरण की ओर से तथा
उसके द्वारा प्राधिकृत

मै0 एन0पी0इन्फ्रा0 प्रा0लि0,
द्वारा श्री कपिलदेव उपाध्याय (डायरेक्टर),
पता-जी0एच0-8 संस्कार सिटी,
रूक्मणी विहार आवासीय योजना,
वृन्दावन, मथुरा ।

साक्षी-

Purshottam Chaturvedi
Advocate
Civil Court Mathura

साक्षी-

Junaid S/o Shaukat Ali
Kazi Para Mathura

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www...
available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking ...

गवाह

Registration No.: 2839 Year : 2017 Book No. : 1

W1 प्रभात कुमार चतुर्वेदी

सुन्दर श्याम चतुर्वेदी

डैम्पीयर नगर मथुरा

वकालत

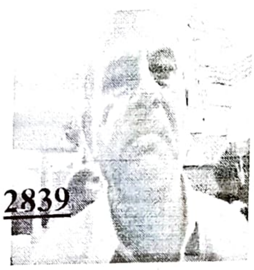

आज दिनांक **01/04/2017** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **8195**

पृष्ठ सं. **321** से **344** पर क्रमांक **2839**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

W2 जावेद

शौकत अली

काजीपाडा मथुरा

व्यापार

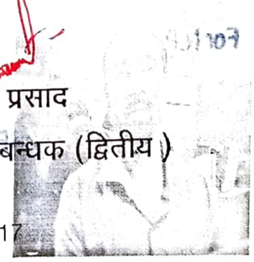

हनुमत प्रसाद

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

1/4/2017

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT NO.GH-08 , RUKMANI VIHAR AVASIYA YOJNA, SITUATED AT VRINDAVAN CHHATIKARA ROAD VRINDAVAN ,MATHURA.
MARKED A,B,C,D,E,F & COLOURED RED (final)
OWNED BY - MATHURA-VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA.
BOUNDARY-
NORTH - GREEN BELT 15.00M WD & 30.00 M WIDE ROAD
SOUTH - 12.00M WD ROAD & PLOTS
EAST - 18.00 M WIDE ROAD
WEST - ASHRAM PLOTS

AREA (as per site) =15929.70.SQ.MT.

NOTE-THIS PLAN IS VAILED ONLY FOR PLOT NO.GH-08 ONLY

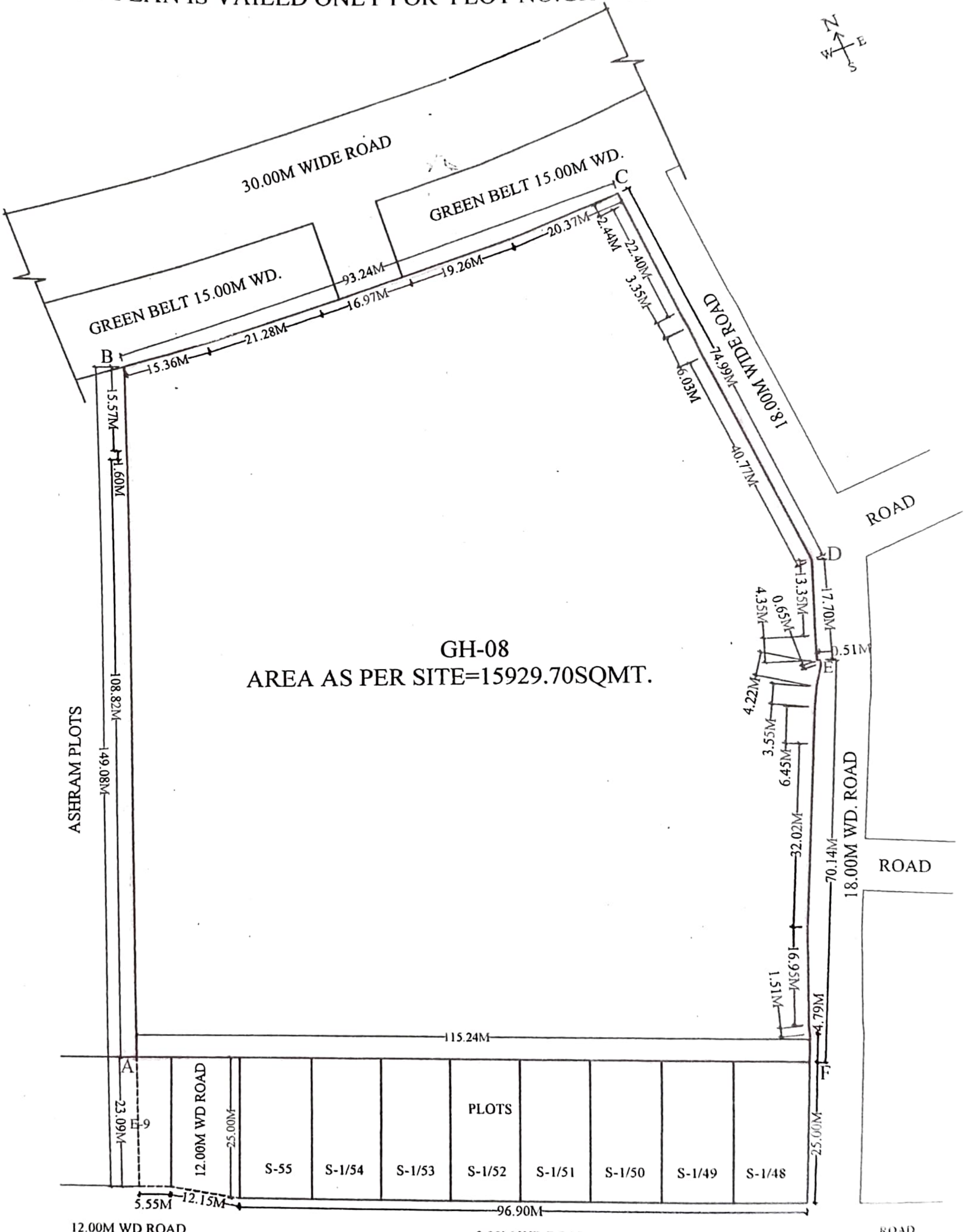

02/2/17
D/MAN.
DRAWN BY

2/2/17
J.E.
MEASUREMENT BY

09/2/17
A.E.

SECRETARY

MATHURA- VRINDAVAN DEVELOPMENT AUTHORITY, MATHURA